मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

बासोदी

1 अगस्त, 2007

{डॉ. अरिजीत पसायत और पी.पी. नावलेकर, जे.जे.}

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त-दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील-निर्धारित-अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति विश्वसनीय नहीं है-अभियोजन पक्ष के संस्करण में विश्वसनीयता का अभाव है. एफ.आई.आर दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया-उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को परिणामस्वरूप बरकरार रखा गया-शस्त्र अधिनियम, 1959-धारा 27.

प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपने भतीजे की हत्या में आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ था। प्रत्यर्थी ने कथित तौर पर भूमि विवाद के बाद मृतक पर अपनी थूथन लोडिंग बंदूक से गोली चलाई थी। प्रत्यर्थी के ज्ञापन पर, थूथन लोडिंग बंदूक कथित रूप से बरामद की गई और जब्त कर ली गई। विचारण न्यायालय ने बंदूक की बरामदगी के दावे पर विश्वास नहीं किया हालांकि,

यह माना कि पीडब्ल्यू 01, पीडब्ल्यू 03 और पीडब्ल्यू 08 के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से स्वीकार्य थी और तदनुसार उसे धारा 302 भा0दं0सं0 व धारा 27 शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया। अत यह अपील पेश हुई।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया,

1.1 पी0ड0-08 के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त कथित रूप से आया और उसे अपने भतीजे यानी मृतक को गोली मारने के बारे में बताया। उन्होंने अभियुक्त को अल्मोड के कोटवार के पास जाने की सलाह दी। राम प्रसाद (पी0ड0 03)गॉव कोटवार के रहने वाले हैं। पी0ड0 01 ने कहा कि जब आरोपी, को उसके द्वारा व पीडब्ल्यू-03 तथा पीडब्ल्यु-08 द्वारा पुलिस थाने पर ले जाया जा रहा था, तो आरोपी ने फिर से मृतक की हत्या करने की बात कबूल की. {पैरा 6}{756-बी}

1.2. पी0ड0-03 के कथन के अनुसार घटनास्थल और उसके घर के बीच की दूरी लगभग 10 कि.मी. है और इसे पूरा करने में लगभग दो घंटे लगते हैं। उसने बताया कि अभियुक्त लगभग 4 बजे सायं उसके पास पहुंचा। एफ.आई.आर. तथा पी0ड0 01 और पी0ड0 08 के कथनों के

अनुसार, घटना शाम 4 बजे हुई और उसके बाद पी0ड0 08 ने आरोपी को अल्मोड के कोटवार के पास जाने की सलाह दी। अतः यह कथन इस अर्थ में विरोधाभासी है कि यदि अभियुक्त ने पी0ड0 08 के घर से दूरी तय करने के बाद पी0ड0 03 के समक्ष शाम लगभग 4 बजे कोई स्वीकारोक्ति की होती, तो घटना शाम लगभग 4 बजे नहीं हो सकती थी, जैसा कि पी0ड0 01 और पी0ड0 03 द्वारा दावा किया गया है। {पैरा 6}{756-सी-डी}

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह अभियोजन पक्ष का विशिष्ट पक्ष था कि पी0ड0 01, पी0ड0 03 और पी0ड0 08 अभियुक्त को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए जहॉ अभियुक्त से बंदूक जब्त की गई। पुलिस अधिकारी (पी0ड0 10) ने जो कहा, उसे देखते हुए यह संस्करण पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाता है। पी0ड0 10 के अनुसार, आरोपी का बयान तब दर्ज किया गया जब वह तलाशी के बाद पाया गया और जब प्राथमिकी दर्ज की गई तो आरोपी उसके सामने नहीं था। यह दिखाने के लिए और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक मिथक है और अभियेाजन पक्ष के संस्करण में विश्वसनीयता का अभाव है और उच्च न्यायालय द्वारा इसे सही ढंग से खारिज किया गया है उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में

कोई ऐसी दुर्बलता नहीं है कि आदेश में हस्तक्षेप किया जावे. {पैरा 6} {756-ई-जी}

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 50/2002.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आपराधिक अपील सं. 700/1988 में निर्णय व आदेश दिनांक 13.07.1998 के विरूद्ध

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता विभा दता मखीजा.

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता अविनाश कुमार.

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा पारित किया गया.

1. इस अपील में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित जबलपुर द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छिंदवाडा के फैसले को अपास्त करके प्रत्यर्थी (जिसे इसके बाद अभियुक्त कहा गया है।)को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया, जिसमेे अभियुक्त को दोषी ठहराया था तथा अभियुक्त को भा0 दं0 सं0, 1860(संक्षेप में 'आई.पी.सी.') की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 (संक्षेप में शस्त्र अधिनियम) की धारा 27 के तहत आजीवन कारावास और क्रमशः पॉच साल के कठोर कारावास की सजा

सुनाई गई थी। अभियुक्त पर अपने भतीजे मंगलु (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.1987 को दोपहर में मृतक गांव कोडाकोडी में अपना खेत जोतने गया था। प्रत्यर्थी, जो मृतक के चाचा थे, ने मृतक को खेत की जुताई करने से मना कर दिया, लेकिन मृतक ने खेत की जुताई जारी रखी। प्रत्यर्थी ने मृतक पर अपनी थूथन लोडिंग बंदूक से गोली चलाई। चोट लगने के बाद मृतक जमीन पर गिर गया। प्रत्यर्थी अपने गॉव पहुॅचा और रामप्रसाद (पी0ड0-03), मारेशा (पी0ड0-08) और अन्य ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया कि उसने मृतक को गोली मार दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता जंगलू (पी0ड0- 01) और उसके पिता भगवान सिंह पी0ड0 05, दौलत पी0ड0 06 और मारेशा पी0ड0 08 खेत में गए और मृतक को घायल अवस्था में पडा देखा। जब मृतक को घर लाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता जंगलू अन्य लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गया और दिनांक 21.08.1987 को प्राथमिकी (म्ग. च्. 10) दर्ज की और अनुसंधान आरंभ हुआ। प्रत्यर्थी के ज्ञापन (एक्स.पी.-04) पर, थूथन लोडिंग बंदूक बरामद की गई और एक्स.पी.- 5 के माध्यम से जब्त की गई। पुलिस ने प्रत्यर्थी के खून से सने कपडों को भी जब्त कर लिया

और जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक जांच और रिपोर्ट के लिए एफएसएल, सागर को भेज दिया.

रासायनिक परीक्षक (एक्स.पी.-11) की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तदनुसार अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सुर्पुद किया गया।

अभियोजन पक्ष ने विचारण में दस गवाहों को परीक्षित कराया।

बचाव पक्ष ने भूमि विवाद के पारिवारिक झगडे के कारण स्वयं को झूठा फंसाया जाने का कथन किया।

विचारण न्यायालय ने बंदूक की बरामदगी के दावे पर विश्वास नहीं किया। तथापि यह अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ता जंगलू पी0ड0 01, रामप्रसाद पी0ड0 03 और मारेशा पी0ड0 08 के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से स्वीकार्य थी और तदनुसार अभियुक्त को दोषी ठहराया गया जैसा कि पहले कहा गया है।

3. निर्णय से क्षुब्ध होने के कारण अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक बचाव यह लिया गया कि तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति विवसनीय नहीं थी। अभियोजन पक्ष का संस्करण पूरी तरह से असंगत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उच्च

न्यायालय ने पाया कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित साक्ष्य स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और तदनुसार दोषमुक्त का निर्देश दिया जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य द्वारा कथन किया गया कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को खारिज करने के लिए कोई भी आधार या कारण नहीं दर्शाये है।

5. अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषमुक्ति के निर्णय का समर्थन किया।

6. यह ध्यातव्य है कि यह घटना दिनांक 19.08.1987 की लगभग 4 बजे सायं को हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.08.1987 को दर्ज करायी गई थी। पी0ड0 08 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आरोपी कथित तौर पर आया और उसने अपने भतीजे यानी मृतक को गोली मारने के बारे में बताया। उन्होंने आरोपी को अल्मोड के कोटवार के पास जाने की सलाह दी। रामप्रसाद पी0ड0 03 गॉव कोटवार के निवासी है। पी0ड0 01 ने यह भी कहा कि जब आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तो आरोपी ने फिर से पी0ड0 03 और पी0ड0 08 से मृतक की हत्या करने की बात कबूल की। पी0ड0 03 के कथनों के अनुसार घटनास्थल और उसके घर के बीच की दूरी लगभग 10 कि.मी. है और वहां तक पहुंचने में

लगभग दो घंटें लगते हैं। उसने यह भी कथन किया कि आरोपी करीब 4 बजे उसके पास पहुंचा। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट और गवाह पी0ड0 01 और पी0ड0 08 के कथनानुसार ,घटना शाम 4 बजे हुई और उसके बाद पी0ड0 08 ने आरोपी को अल्मोड के कोटवार के पास जाने की सलाह दी थी। अतः यह कथन इस अर्थ में विरोधाभासी है कि यदि अभियुक्त ने पी0ड0 08 के घर से दूरी तय करने के बाद पी0ड0 03 के समक्ष शाम लगभग 4 बजे कोई स्वीकारोक्ति की होती, तो घटना शाम लगभग 4 बजे नहीं हो सकती थी, जैसा कि पी0ड0 01 और पी0ड0 03 द्वारा दावा किया गया है। पी0ड0 03 की साक्ष्य के अनुसार जब आरोपी पी0ड0 03 के घर गया था तो उसके पास हथियार यानी बंदूक नहीं थी। पी0ड0 03 ने दावा किया कि वह आरोपी को अपने साथ गॉव में ले आया जहॉ पी0ड0 01, पी0ड0 08 और अन्य मौजूद थे। फिर उसने अभियुक्त को घर जाने के लिए कहा और अगले दिन वे पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। यह स्वीकृत है कि एफ.आई.आर दिनांक 21.08.1987 को दोपहर लगभग 1 बजे दर्ज करायी गई थी। एफ.आई.आर को देरी से प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह अभियोजन पक्ष का विशिष्ट कथन था कि पी0ड0 01, पी0ड0 03 और पी0ड0 08 अभियुक्त को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए जहॉ अभियुक्त से बंदूक जब्त की गई। पुलिस अधिकारी पी0ड0 10 ने जो कहा, उसे देखते हुए यह कथन पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाता है। क्योंकि उसके अनुसार,

आरोपी का बयान तब दर्ज किया गया जब वह तलाशी के बाद पाया गया और जब प्राथमिकी दर्ज की गई तो आरोपी उसके सामने नहीं था। वह कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वरूद गॉव घटनास्थल पर दिनांक 22.08.1987 को पहुचा था। आरोपी को दिनांक 24.08.1987 को गॉव कवर करने के बाद पाया गया। यह दिखाने के लिए और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक मिथक है और अभियोजन पक्ष के संस्करण में विश्वसनीयता का अभाव है और उच्च न्यायालय द्वारा इसे सही ढंग से खारिज किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई दुर्बलता व हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।